



भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ

प्रबन्ध नगर, आई आई एम रोड, लखनऊ-226 013 (उ.प्र.) भारत

Indian Institute of Management Lucknow

Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow-226 013 (U.P.) India

दिनांक: 19.12.2024

Corrigendum 3

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी संस्थान की खरीद नीतियों के अनुसार, टेण्डर दिनांक 29/11/2024 को जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 24 दिसंबर, 2024 कर दिया है। यह विस्तार विक्रेताओं की भागीदारी को अधिकतम करने और सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस निर्णय से सभी पात्र टेण्डर दाताओं को अपनी टेण्डर जमा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। संस्थान के उमंग / उत्सव परिक्षेत्र में जलौनी व परिसर के विभिन्न स्थानों पर पड़ी जलौनी, सूखी लकड़ी की नीलामी की जानी है। नीलामी की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 24/12/2024 तक नीलामी की जाने वाली लकड़ी के अवलोकन हेतु संस्थान के उद्यान सहायक, श्री अंकित वर्मा, टेलीफोन नं० 05226696935 ; मो० 8563992287 से समाधान भवन के उद्यान विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

इच्छुक फर्म / व्यक्ति आदि जो उपरोक्त लकड़ी को लेना चाहते हैं वे सील बन्द लिफाफे में अपना टेण्डर फार्म भरकर 24/12/2024 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09.00 बजे से सायं 5.00 के मध्य परिसर के मुख्य द्वार पर स्थित टेण्डर बॉक्स में डाल सकते हैं।

नीलामी आवंटन हेतु प्राप्त सील बन्द टेण्डर दिनांक 30/12/2024 को सायं 03.00 बजे संस्थान के समाधान भवन के समिति कक्ष में फर्मों/ व्यक्तियों की उपस्थिति में खोले जायेंगे। इस प्रक्रिया में, सम्बन्धित फर्मों एवं व्यक्तियों की उपस्थिति वैकल्पिक है। नीलामी से संबंधित अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट <https://www.iiml.ac.in/> का अवलोकन करें।



(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)

मेसर्स

दिनांक : 19/12/2024

विषय: संस्थान व परिसर के उत्सव / उमंग परिक्षेत्र में पड़ी जलौनी सूखी लकड़ी के नीलामी के संबंध में :

महोदय,

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ परिसर में उत्सव / उमंग परिक्षेत्र में पड़ी जलौनी, सूखी लकड़ी को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस क्रम में, संस्थान के नियम व शर्तें नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति या फर्म हेतु मान्य होगी।

इस नीलामी में, बोली लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म उपरोक्त लकड़ी की नीलामी हेतु सील बन्द लिफाफे में अपनी बोली को लिखकर दिनांक 24/12/2024 तक भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के मुख्य द्वार पर रखे टेण्डर बॉक्स में डालने का कष्ट करें। सील बन्द लिफाफे के उपर निम्नलिखित पता लिखा होना आवश्यक है:

(जलौनी व सूखी लकड़ी के टेण्डर के सम्बन्ध में)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ

नोट: सील बन्द टेण्डर दिनांक : 30/12/2024 को अपराह्न 3.00 बजे समाधान भवन के समिति कक्ष में खोले जाएंगे।

नीलामी में भाग लेने वाले को रु 10,000/ (रुपया दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के पक्ष में देय को अग्रिम धनराशि के रूप में टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा, जो कि टेण्डर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वापस की जायेगी।

देय ड्राफ्ट का पूरा विवरण :

बैंक व शाखा का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	मूल्य
फर्म/व्यक्ति का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष नंबर एवं संलग्न डी. डी. की विवरण		नीलामी की दर जो फर्म प्रस्तावित करना चाहता है - (न्यूनतम मूल्य 500/- रुपये प्रति कुंतल) अनुमानित सूखी जलौनी लकड़ी = 100 कुंतल

संजीव बरुवा

इस नीलामी से संबंधित शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. संस्थान द्वारा जलौनी व सूखी लकड़ी का न्यूनतम मूल्य 500/- रुपये प्रति कुंतल रखा गया है अगर न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर टेण्डर प्राप्त हुयी तो, नीलामी की प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी। टेण्डर को बन्द लिफांफे में रखकर संस्थान के मुख्य द्वार पर रखें टेण्डर बॉक्स में दिनांक: 24/12/2024 तक अपराह्न 5.00 बजे तक डालना होगा। नीलामी आवंटन हेतु प्राप्त सील बन्द टेण्डर दिनांक 30/12/2024 को अपराह्न 03.00 बजे संस्थान के समाधान भवन के समिति कक्ष में फर्मों/ व्यक्तियों की उपस्थिति में खोले जायेंगे जिसमें सम्बन्धित फर्मों एवं व्यक्तियों की उपस्थिति वैकल्पिक है।
2. संस्थान में सबसे पहले परिसर के विभिन्न जगहों पर पड़ी जलौनी व सूखी लकड़ी को उठाना होगा, उसके पश्चात उमंग / उत्सव परिक्षेत्र की जलौनी, सूखी लकड़ी ले जानी होगी।
3. नीलामी के बाद लकड़ी को ले जाते समय, किसी भी अन्य वृक्ष की लकड़ी न तो काटी जाएगी, न ही किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाएगी। यदि ठेका लेने वाले व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर समुचित अर्थदण्ड लगाया जायेगा।
4. लकड़ी ले जाते समय किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा और न ही कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी।
5. नीलामी / टेण्डर स्वीकृति की सूचना व आर्डर पत्र मिलने के 3 दिन के अन्दर, नीलामी टेण्डर की धनराशि का भुगतान संस्थान में जमा करना आवश्यक है। साथ ही, 20 से 25 दिनों के अन्दर नीलामी की गई लकड़ी को अपने परिवहन से ले जाना होगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
6. नीलामी की जाने वाली लकड़ी उत्सव / उमंग परिक्षेत्र व विभिन्न जगहों से सूखी लकड़ी निकाल कर ले जानी होगी।
7. संस्थान की लकड़ी ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्थान के उद्यान विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
8. उपरोक्त लकड़ियों के लिए, यदि वास्तविक मात्रा ऊपर उल्लिखित अनुमानित मात्रा (100 कुंतल) से अधिक है, तो अतिरिक्त लकड़ी ले जाने से पहले उस बढ़ी हुए वजन के मूल्य की धनराशि जमा करनी होगी। यदि वास्तविक मात्रा ऊपर उल्लिखित अनुमानित मात्रा से कम है, तो उस वजन कमी के मूल्य की धनराशि (वास्तविक मात्रा से ऊपर उल्लिखित मात्रा) 15 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।

संजीव वर्मा

9. अगर अनुमानित मात्रा से ऊपर की लकड़ी संस्थान से निकलती है तो, ठेकेदार को अग्रिम के रूप में धनराशि संस्थान के खाते में, ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा, जिसके पश्चात ही लकड़ी संस्थान से बाहर ले जाई जा सकती है।

खाते का विवरण

ACCOUNT HOLDER NAME	INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
BANK NAME	HDFC BANK
ACCOUNT NUMBER	07231450000294
IFSC CODE	HDFC0000723

10. तौल के बाद, जलौनी सूखी लकड़ी के वास्तविक वजन के अनुसार वित्त और लेखा अनुभाग, आईआईएम लखनऊ द्वारा चालान जारी किया जाएगा और लकड़ी को संस्थान से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि तौल के 10 कार्य दिवसों के भीतर पूरी लकड़ी नहीं उठाई गई तो 500/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
11. इसके अलावा, यदि लकड़ी को 25 कार्य दिवसों के भीतर साइट से हटाया/उठाया नहीं जाता है, तो जमा की गई राशी जब्त कर ली जाएगी और आईआईएम लखनऊ में टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा। हालाँकि, यह विलम्ब आईआईएम लखनऊ की ओर से है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
12. ले जाने वाली लकड़ियों से लदे ट्रक / वाहन का वजन हर बार संस्थान परिसर के निकटतम धर्म कांटा पर तौल किया जाएगा। वाहन का वजन दो बार मापा जाना है, पहला जब वाहन खाली हो और फिर लादने के बाद। धर्म कांटा का जो भी खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। धर्म कांटे की पर्ची उद्यान विभाग के अधिकारी को देना होगा।
13. लकड़ी कटाई के दौरान, जो भी बिजली का खर्च आएगा उसे मीटर रीडिंग के अनुसार ठेकेदार को संस्थान के खाते में ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

संजीव बरुवा